न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— महेंद्र कुमार सिंहल, R.H.J.S.

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या :—02/2018

हरप्रीत उर्फ वीरिया पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0) ——प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, संगरिया ——अभियोगी

जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0
प्र.सू.रि.सं. 652/2017 पुलिस थाना संगरिया
(धारा— 457, 341, 354, 323 आईपीसी)

उपस्थिति :—
1— श्री इन्द्रपाल बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2— अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य उपस्थित।

——:: आदेश ::—— दिनांक :—03.01.2018

1— इस आदेश द्वारा प्रार्थी/मुलजिम हरप्रीत उर्फ वीरिया के द्वारा पेश अंतर्गत धारा 439 सी.आर.पी.सी के जमानत आवेदन को तय किया जा रहा है।

2— अधिवक्ता मुलजिम का बहस में कथन है कि मुलजिम को झूठा फंसाया गया है। अपराध प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय योग्य है। मुलजिम करीब 10—12 दिन से अभिरक्षा में है। अतः जमानत का लाभ दिया जावे।

3— अधिवक्ता परिवादी व अपर लोक अभियोजक का बहस में कथन है कि मुलजिम ने परिवादिया के घर में घुस कर परिवादिया के साथ छेड़छाड़ की और मारपीट की है। मामला महिला उत्पीड़न का है। अतः जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

4— दोनों पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5— मुलजिम को अंतर्गत धारा 457, 341, 354, 323 आईपीसी में गिरफतार किया गया है। मुलजिम पर आरोप है कि उसने दिनांक 14.12.2017 को रात्रि करीब 8 बजे परिवादिया के साथ अश्लील हरकते करने लगा, परिवादिया का हाथ पकड़ लिया व उसकी छाती दबाने लगा व गफी भर ली। मुलजिम ने परिवादिया के साथ जबरदस्ती बुरा काम करने की नियत से बरामदे में से घसीटकर कमरे में ले गया तथा परिवादिया के मना करने पर उसके साथ थप्पड़—मुक्कों से मारपीट की। प्रकरण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य है। आहता का कोई चोट प्रतिवेदन अभिलेख पर नहीं है। मुलजिम 10—12 दिन से अभिरक्षा में है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितयों को देखते हुए मुलजिम का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी/अभियक्त हरप्रीत उर्फ वीरिया पुत्र श्री मलकीत सिंह जाति जटसिख निवासी लीलांवाली पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0) का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 सीआरपीसी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मुलजिम विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद रूपये दस हजार का स्वयं मुचलका एवं इसी राशि की एक जमानत पेश कर तस्दीक करावे तो उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(महेंद्र कुमार सिंहल)

आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(महेंद्र कुमार सिंहल)